

# कार्यालय नगर परिषद राऊ जिला इन्दौर

ज.क्र.1683

दिनांक 25/07/2024

## विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, संवर्धन/नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था.एक/201/प्र.रि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय कक्षा भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./ एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जानी है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नेचे दशदिने गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 26.07.2024 से दिनांक 09.08.2024 कार्यलयीन समय 6.00 सांयकाल तक (अवकाश दिने को छोड़कर) आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय/वर्ध से आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त के माध्यम से क्लिंर से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्ग/वर्ग				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बाहरे और कम सुनने वाले	लेकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें स्मिनिश है, सेरेलबल फाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, ज्वीयापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी	ऑटिज्म, बॉटिक दिव्यांगता, संवैधिक रूनि डिसेबिलिटी और मानसिक बीयापन और ऋदुकिस्लंगत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्भरित									
1	सर्घई संरक्षक	रक्षुथ	15500/- 49000 Level-1	0	1	0	0	5वीं उत्तेर्ण	पत्र अर्धर्धियों को वॉक-इन इंटरव्यू की तिथि एवं समन की सूचना पुश्क से दी जायेगी

### मुख्य शर्ते-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करते उररत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों / नगरसैनिक / नि:शक्तजन / महिलाओं / अनाक्षित / आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-पक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित संजीवन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: दिनांक 21.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मेयुअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अभूत, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम / निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
- यह कि जिन आवेदक का निवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
- आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- सौधी / बैकस्लींग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेशान योजना, 2005 अंतर्गत निर्गुण होंगे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ा जनजातियों (सहारिया / सहारिया, धारिया एवं बैंग) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पुश्क से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कट्टरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो स्थापनित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जायेंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तालिक जनकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जायेंगे।
- दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के बिन्दु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये निगल स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे स्वास्थ्य में विकलांग हैं यह निगल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उररत ही निर्गुण आदेश जारी किये जायेंगे।
- यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के बिन्दु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि:शक्तता का प्रतिलप, 40 प्रति. या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार प्रण करया जायेगा।
- शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने हैं, जिससे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी निर्गुण हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर निर्गुण होगा। परीवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत रफि स्ट्यापण्ड के रूप में दी जायेगी।
- दिव्यांगजनों हेतु सिन्धीकित सविद्य के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका सविद्य (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, निगम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जायेगी।
- निर्गुण से संबंधित सभी अधिकार निर्गुण प्राधिकरों के पास सुरक्षित होंगे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद, राऊ जिला-इन्दौर

### आवेदन का प्रारूप

प्रति,

#### कार्यालय नगर परिषद, राऊ जिला-इन्दौर

- आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम.....
- आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम.....
- आवेदक/आवेदिका की माता का नाम.....
- आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हॉट स्कूल की अंकरुची अनुसार) वर्ष.....माह.....दिन.....
- दिनांक.....को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....
- आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरुष / महिला / अन्य).....
- नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां / नहीं).....
- दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिलप.....
- आवेदक / आवेदिका की जाति.....वर्ग.....
- आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो निवाह के प्रमाण-पत्र अनुसार निवाह की दिनांक.....
- जीवित सन्तानों का विवरण.....
- वर्तमान पता/पिन कोड.....
- सर्घई पता/पिन कोड.....
- पत्राचार का पता/पिन कोड.....
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीवन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम.....
- सविद्य पद हेतु अनुभव का विवरण.....
- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छवियां/प्रतियां संलग्न करें)

स्व-प्रमाणित  
पासपोर्ट साईज  
का फोटो  
चमा करे

क्र.	परीक्षा का नाम	संरघ कोड/ विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
18.	अनुभव यदि होते उसका विवरण.....						
19.	अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण.....						
20.	ईमेल आई.डी.....						
21.	मोबाईल नम्बर 1.....2.....						

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

योग्यता पत्र

मैं योग्यता करता हूं/करती हूं कि उररके सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

